

राजस्थान सरकार
राजसव(युप-६)विभाग

प्र०४८-३(२)राज-६ / 2007/14

परिपत्र

जनवरी दिनांक 24-5-2007.

1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दि० 13.12.91 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्यत अवधरक है। अतः इसकी खातेदारी गूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बलदेव बनाम गूमि मंदिर श्री कृष्ण जी महाराज आरआरडी 1994 में निर्णीत किया गया है कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के संबंध में विवाद दीवानी न्यायालयों द्वारा ही तय किया जा सकता है मंदिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवायत का नाम जमावंदी में दर्ज नहीं होना चाहिए यद्योंकि इसका काफी दुरुपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की गूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमे बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दि० 13.12.91 में निम्न निर्देश दिये गये थे:—
 - (i) भविष्य में जो जमावंदी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सिवायत का नाम नहीं लिखा जावे।
 - (ii) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील रत्तर पर सलान प्रोफार्म में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि गूमि है उनके पुजारियों के नाम का अकंन किया जावे।
 - (iii) जो जमावंदी बन घुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहाँ भी पुजारी का नाम आया है वहाँ पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बायत स्पष्ट नोट जमावंदी के रिमार्क के कॉलम में अकिंत किया जावे।
2. जागीरों के अधिग्रहण के समय जो गूमि मंदिर के नाम से अथवा जारी पुजारी खुदकाश के रूप में दर्ज थी। उस गूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिनियम प्राप्त नहीं होगे। मंदिर मूर्ति निरन्तर अवधरक है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों जिनमें मंदिर के पुजारियों के नाम गूमि दर्ज हैं उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्रवाही की जावे।
3. मंदिरों को माफी की गूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज० गूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ-साथ ऐसी गूमियों का निरस्तारण इस अधिनियम के ग्रांवधारों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो गूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पटटेहार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस गूमि को जागीर अधिग्रहण के साथ उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दि० 13.12.91 के अनुसारण में ऐसी गूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उन्हिंन नहीं हैं।
4. ऐसी गूमि के संबंध में जो मंदिर माफी की थी के संबंध में राजस्वगम गूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रभावान् किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के साथ जो क्यानित राजसव रिकार्ड में पटटेहार राष्ट्रियतार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार करे रखें। धारा 9 किया प्रभावी है।

“जागीर गूमियों में खातेदारी अधिकार—जागीर गूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रभावी के साथ राजस्व अधिलेखों में एक खातेदार पटटेहार खातेदार हो जप में या किसी अन्य रूप में लिखा गया अन्तर्भूत हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवानिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, तर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी गूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार पटटेहारी।”

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की गूमि के विभिन्न वर्गों के नाम खातेदार पटटेहार या अन्य खातेदार आदि नाम से कहने के बाहर जो काश्तकारों को पूर्ण

उत्तराधिकार योग्य एवं उस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी गूणियों को पुनः गंदिरो के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

6. वर्तमान में इस विषय में कम संख्या 5 पर अविनंत प्रकरणों में जहाँ विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित है तथा राजस्व बोर्ड के समान जो सांदर्भ (reference) लंबित है। उन प्रकरणों में रांचित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक रिति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/संदर्भों को निरतारण करायेंगे।

आज्ञा से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त संभाषीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. निबन्धक, राजस्व नण्डल, अजमेर।
4. जागीर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

शासन उप सचिव